

प्रपत्र- ए  
/नियम -5 दंडे/

पंशन/संवितरण प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख

(बैंक/डाकघर/कोषागार/लेखा अधिकारी आदि का नाम।)

स्थान.....

में, .....। इसके द्वारा बकाया भुगतान के नियम 5 के तहत नीचे नामित व्यक्ति को नामांकित करता हूँ (पंशनभोगी का नाम बड़े अक्षरों में)  
पंशन (नामांकन) नियम, 1983

नामिती (यों) का नाम एवं पता	पंशनभोगी के साथ संबंध	यदि नामिती अवयस्क है		यदि कॉलम 1 के तहत नामिती व्यक्ति की पंशनभोगी से पहले मृत्यु हो जाती है तो अन्य नामित व्यक्ति का नाम और पता	पंशनभोगी के साथ संबंध	यदि अन्य नामिती व्यक्ति अवयस्क है तो जन्मतियि	उस व्यक्ति का नाम और पता जो अन्य नामिती व्यक्ति के अवयस्क होने के दौरान पंशन प्राप्त कर सकता है	आकस्मिकता घटित होने पर नामांकन अवैध हो जाएगा
		उस व्यक्ति का नाम और पता जो नामिती के अवयस्क होने के दौरान उक्त पंशन प्राप्त कर सकता है	(4)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

स्थान :

दिनांक :

गवाह:

हस्ताक्षर:

नाम एवं पता:

पंशन संवितरण प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

पंशन संवितरण प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा भेजी जाने वाली पावती प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन/नामांकन.....(पंशनभोगी का नाम) से प्राप्त हो गया है, जिसका पता.....है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर (या अनपढ़ होने पर अंगूठे का निशान)

एवं पंशनभोगी का नाम और पता

पंशन/संवितरण प्राधिकारी/बैंक/कोषागार/डाकघर/लेखा अधिकारी/कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

पूर्ण पता: